कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 01.01.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

<u>अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा</u> की गई कार्यवाही-

01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बलराम गुप्ता पुत्र दीनदयाल नि0 वार्ड नं0 05 आपदा आजाद नगर थाना गौर जनपद बस्ती के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 529 / 20, 02. कृष्णानन्द मौर्या पुत्र बेकारू नि0 ढढौआ थाना छिपया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 530 / 20, 03. जोखू प्रसाद पुत्र रामफेर नि0 वासुदेवपुर ग्रण्ट थाना छिपया जनपद गोण्डा के कब्जे 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 531 / 20, 04. श्रीमती सीमा देवी पत्नी ओमप्रकाश नि0 धौरहा थाना छिपया जनपद गोण्डा के कब्जे 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगुपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संतोष कुमार पुत्र सियाराम नि0 विशुनापुर वेलहरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 319 / 20, 02. सांवली पुत्र रामा नि0 विशुनापुर बेलभरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 320 /20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगजं द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुशील कुमार पुत्र सहदेव नि0 सूर्यवंशमपुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 21, 02. भद्दर पुत्र रामजागे नि0 डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 02 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामनरायन पुत्र धोबई चौहान नि0 अचलपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. (i) करन सोनकर पुत्र राममिलन, (ii) गुरुप्रसाद पुत्र रंगे, (iii) बाबादीन पुत्र रामलगन, (iv) श्यामू पुत्र भगौती सोनकर नि0गण बनपुरवा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1किलो

400 ग्राम यूरिया, 1 किलो नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0- 02 / 21, धारा 272 भादिव व 60.60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ईश्वर प्रसाद उर्फ गबोधर पुत्र रामफेर नि0 कोल्हुआ गौसेन्द्रपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बाबादीन गौतम पुत्र रामनाथ गौतम नि0 अल्लीपुर खण्डेराय बनुआ थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 02 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अर्जुन यादव पुत्र रक्षाराम यादव नि0 दुल्लापुर थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त दिलशाद उर्फ शिवा पुत्र झिन्नन उर्फ झिलानी नि0 जिगनी देवरिया थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 02/21, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना परसपुर द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. माधवराज उर्फ नन्हके पुत्र अमेरिका नि0 रेक्सड़िया माझा डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- ०१ / २१, धारा ३ / २५ आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 01.01.2021 को थाना परसपुर के उ0नि0 योगेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को रेक्सड़िया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर

उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

- 01. उ0नि0 योगेश कुमार सिंह ।
- 02. हे0का0 रवीन्द्र सिंह।
- 03. का0 चन्दन यादव।
- 04. का0 सुरेश सिंह।

थाना कटराबाजार द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामदेव पुत्र स्व0 रामलाल नि0 शेरापार मौजा पूरे बहोरी थाना कटराबजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 01 / 21, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.12.20/01.01.2021 की रात्रि थाना कटराबाजार के उ0नि0 वसी अहमद मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गोनार्द्ध स्कूल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

- 01. उ0नि0 वसी अहमद ।
- 02. का0 रामप्रताप सिंह।
- 03. का0 देवनाथ यादव।

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जिलानी पुत्र जब्बार कुरैसी नि0 नईबाजार कटरा रोड थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 01 / 21, धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 07 ग्राम नाजायज रमेक।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.12.20/01.01.21 की रात्रि को थाना करनैलगंज के उ0नि0 रणजीत यादव मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को यतीमखाना तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 07 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

- 01. उ0नि0 रणजीत यादव।
- 02. का0 मिथिलेश सिंह।
- 03. का० अबरार खां।

चोरी की योजना बनाते समय 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 01. संजय उर्फ लोटन पुत्र गंगाराम नि0 लालपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 02. ननकुन्ने उर्फ घन्टाये पुत्र बुधई नि0 बल्दूपुरवा मौजा बनगई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग -

- 01. मु०अ०सं०- 01 / 2021, धारा ४०१ भादवि० थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 02. मु0अ0सं0- 02 / 2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 03. मु०अ०सं०- ०३ / २०२१, धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

- 01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस।
- 02. 01 अदद नाजायज चाकू।
- 03. चोरी करने के उपकरण।

अभियुक्त संजय उर्फ लोटन का अपराधिक इतिहास-

- 01. मु०अ०सं०- ५४ / २०१४, धारा ३६३ भादवि० थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 02. मु0अ0सं0- 349 / 2017, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 03. मु0अ0सं0- 304 / 2018, धारा 272 भादवि0 व 60.60(2) आबकारी अधिनियम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा
- 04. मु0अ0सं0- 83 / 2019, धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 05. मु0अ0सं0- 84 / 2019, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 06. मु0अ0सं0- 142 / 2019, धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 07. मु0अ0सं0- 143 / 2019, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 03. मु0अ0सं0- 239 / 2020, धारा 272 भादवि0 व 60.60(2) आबकारी अधिनियम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा

अभियुक्त ननकुन्ने उर्फ घनटाये का अपराधिक इतिहास-

- 01. मु0अ0सं0- 74 / 99, धारा 379.411 भादवि0 थाना उचहार जनपद रायबरेली।
- 02. मु0अ0सं0- 227 / 2011, धारा 379 भादवि0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
- 03. मु0अ0सं0- 380 / 2011, धारा 379.411 भादवि0 थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
- 04. मु0अ0सं0- 404 / 2011, धारा 3(1) यू0पी0 गैगैस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 05. मु0अ0सं0- 91 / 2012, धारा 392.411 भादवि0 थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.12.20/ 01.01.2021 की रात्रि थाना धानेपुर के उ0नि0 अवधेश यादव, दिलीप कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जिएए मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम पण्डित पुरवा में आम के बगीचे के पास कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण बरामद किए गये। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त संजय के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, अभियुक्त ननकुन्ने उर्फ घन्टाये के पास से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों को थाना धानेपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम-</u>

- 01. उ0नि0 अवधेश यादव।
- 02. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह।
- 03. हे0का0 मदन मोहन सिंह।
- 04. का0 शोभित सिंह।
- 05. का0 दयानन्द सिंह।

थाना मनकापुर के टॉप-10 अपराधी / हिस्ट्रीशीटर / गैगेंस्टर के विरुद्ध की गयी संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही-

अभियुक्त का नाम पता-

01 नंदं किशोर बरुवार पुत्र रामदीन नि0 अगनीपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

अभियोग-

मु०अ०सं०- ३३९ /२०१८, धारा ३(१) यू०पी० गैगेस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण-

उक्त अभियुक्त थाना मनकापुर का टॉप-10 अपराधी है जिसके ऊपर विभिन्न जनपदों में डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय गोण्डा द्वारा मुकदमा संख्या-09/2020 धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंद अधिनियम सरकार बनाम नंदिकशोर बरवार में पारित आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मनकापुर मय पुलिस टीम के अथक प्रयास से आज दिनांक 01-01-2021 को उक्त अभियुक्त की 01 अदद ट्रक UP42AT2683 कीमत लगभग 30 लाख रुपये कुर्क की गई है। इससे पूर्व भी दिनांक 27.10.2020 को उक्त अभियुक्त की लगभग 8 करोड़, 41 लाख 50 हजार व दिनांक 03-12-2020 को 01 अदद फार्चूनर कार कीमत लगभग 35 लाख, 01 अदद ट्रैक्टर सोनालिका कीमत लगभग 8 लाख व 01 अदद मोटरसाईकिल कीमत लगभग 30 हजार रुपये की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है।